

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 17-12-2020

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2020 को थानाध्यक्ष अरुण पवार की टीम उ0नि0 बलराम त्रिपाठी मय हमराह का0 अशोक कुमार, का0 अरुण कुमार भारती व का0 रामप्रवेश सिंह यादव के चौकी बसन्तपुर में देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी, रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर था कि जरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति डोमखाना तिराहा के पास स्मैक की पुडिया बेच रहा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है उक्त सूचना पर विश्वास कर मै थानाध्यक्ष मय हमराह मय मुखबिर के डोमखाना तिराहा पहुंचा तो मुखबिर खास कुछ दूर पहले ही रुककर स्मैक बेच रहे व्यक्ति के तरफ इशारा कर हट बढ गया। तब हम पुलिस वाले आगे बढे तो देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक डिब्बे में एक काली पन्नी के अन्दर नशीला पदार्थ स्मैक की पुडिया लिया हुआ है। तब हम पुलिस वाले एक बारगी दबिश देकर उक्त स्मैक का पुडिया लिया हुआ व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर अपना नाम राहुल भारती पुत्र कमल प्रसाद भारती निवासी छोटे काजीपुर हरिजन बस्ती थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर बताया। जिसकी सहमति से जामा तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक के डिब्बे में काली पन्नी के पुडिया में कुल 24 ग्राम 180 मि0ग्रा0 स्मैक बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 743/2020 धारा 8/21 NDPS ACT बनाम राहुल भारती उपरोक्त पंजीकृत किया गया। राहुल भारती उपरोक्त थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 740/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल भारती पुत्र कमल प्रसाद भारती निवासी छोटे काजीपुर हरिजन बस्ती थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

बरामदगी- 24 ग्राम स्मैक बरामद

अपराधिक इतिहास- 1- मु0अ0सं0 609/2020 धारा 380,457,411 भादवि0 थाना राजघाट गोरखपुर

2- मु0अ0सं0 615/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

3- मु0अ0सं0 740/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम-

- 1)- श्री अरुण पवार (थानाध्यक्ष)
- 2)-उ0नि0 बलराम त्रिपाठी
- 3)-का0 अशोक कुमार
- 4)-का0 अरुण कुमार भारती
- 5)-का0 रामप्रवेश यादव